अध्याय IV

निगमित सामाजिक दायित्व

4.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशको, समुदायों सहित अपने शेयरधारकों के हितो की पहचान करते समय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से परिचालन करने के लिए कम्पनी की प्रतिबद्धता है। लाभ कमाने वाली कम्पनियों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे अपने लाभों का एक भाग समाज की भलाई के लिए समर्पित करें।

चार्ट 4.1

<u>भारत में सीएसआर-मान्य कार्यढांचा</u>

हालांकि विगत में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर सीएसआर गतिविधियाँ बहुत सीपीएसईज़ द्वारा की जा रही थी, अगस्त 2013 में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमित करने के पश्चात् सीएसआर अनिवार्य बन गया। धारा 135 के तहत सीएसआर प्रावधान वाले कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के साथ सीएसआर हेतु अधिदेश देश में निगमित अभिशासन का एक भाग बन गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII, में कम्पनियों द्वारा सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों की सूची है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 निगमित सामाजिक दायित्व की चर्चा करती है। यह

कम्पनियों जिन्हें सीएसआर कार्य करना अपेक्षित है, के लिए सकल सम्पति, टर्नओवर तथा शुद्ध लाभ पर आधारित पात्रता मानदण्ड का वर्णन करती है तथा अन्य बातो के साथ-साथ सीपीएसईज के निदेशक बोर्ड द्वारा सीएसआर कार्यों के चयन, क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग के प्रकारो का उल्लेख भी करती है।

अधिनियम के अलावा, निगमित मामला मंत्रालय (एमसीए) (फरवरी 2014) ने कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 जारी की तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग ने (अक्टूबर 2014) में निगमित सामाजिक दायित्व तथा स्थिरता पर दिशा निर्देश जारी किए।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियमावली 2014 तथा डीपीई दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा था। सीपीएसईज के प्रयासो का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों की जांच की:

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के सुत्रीकरण तथा अनुपालन, कार्यान्वयन के योजन स्तरो से संबंधित प्रावधानों, का अनुपालन किया गया है;
- क्या विनिर्दिष्ट कार्यों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से संबधित प्रावधानो का अनुपालन किया गया है;
- क्या कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग से संबंधित प्रावधानो का अनुपालन किया गया है; तथा
- क्या रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानो का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

31 मार्च 2016 तक, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 607 सीपीएसईज थे इसमें से 410 सरकारी कम्पनियां, 191 सरकारी नियंत्रण की अन्य कम्पनियां तथा 6 सांविधिक निगम सम्मिलित थे।

समीक्षा ने 24 मंत्रालयो/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 76 सीपीएसईज (सात महारत्न, 17 नवरत्न तथा 52 मिनीरत्न वर्ग-1, विवरण हेतु परिशिष्ट VI देखें) को कवर किया। 31 मार्च 2016 में समाप्त एक वर्ष की अवधि को समीक्षा के दौरान कवर किया गया। चार मिनीरत्न सीपीएसईज (एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा टेलीकम्यूनिकशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड) के संदर्भ में सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इस समीक्षा में इन्हें कवर नहीं किया गया।

4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

समीक्षा के निष्कर्ष आगामी पैराग्राफो में प्रस्तुत किए गए है।

4.4.1 योजना बनाना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(I) विनिर्दिष्ट करती है कि

- किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ या अधिक की निवल सम्पति अथवा ₹ 1000 करोड़ या अधिक रूपये के टर्नओवर अथवा ₹ पांच करोड़ या अधिक रूपये के लाभ वाली प्रत्येक कम्पनी तीन या अधिक निदेशकों जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा, जो बोर्ड की एक निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा।
- सीएसआर समिति बोर्ड को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों पर सीएसआर नीति की सिफारिश करेगी।

4.4.1.1 सीएसआर समिति का गठन

यह देखा गया है कि लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए 76 सीपीएसई में से 73 सीपीएसईज सीएसआर कार्य करने योग्य थे तथा उन सभी ने सीएसआर समिति गठित की थी। तीन सीपीएसईज अर्थात हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड तथा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड[21] सीएसआर समिति के गठन के लिए पात्र नहीं थे।

[21] सीपीएसई के सभी परिचालन भारत से बाहर है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) में वर्णित है कि धारा 134 की उप धारा (3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट सीएसआर समिति के संगठन को प्रस्तुत करेगी। हालांकि, यह पाया गया कि चार सीपीएसईज अर्थात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड तथा एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति के संयोजन को प्रस्तुत नहीं किया था।

4.4.1.2 समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) वर्णित करती है कि अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने वाली प्रत्येक कम्पनी तीन या अधिक निदेशको जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक हो, जो बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगा। यह पाया गया कि पात्र सीपीएसईज में से तीन सीपीएसईज[22] के पास समिति में स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

4.4.1.3 सीएसआर तथा स्थायी नीति बनाना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानो के अनुसार, एक सीएसआर नीति को बनाना है। 65 सीपीएसईज के मामले में सीएसआर तथा स्थायी नीति बनाई गई थी जिसको सीएसआर समिति द्वारा सिफारिश की गई थी तथा इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, नीचे तालिका 4.1 में सूचीबद्ध निम्नलिखित आठ सीपीएसईज ने न तो सीएसआर अथवा स्थायी नीति बनाई थी न ही सीपीएसई की नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

तालिका 4.1: सीपीएसईज जिसने नीति नहीं बनाई है अथवा नीति स्वीकृत नहीं है।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर/स्थायी नीति नहीं
1	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	नहीं बनाई गई
2	शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	नहीं बनाई गई
3	सेन्ट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड	नहीं बनाई गई अथवा सिफारिश नहीं की गई *
4	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं
5	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं
6	इंजीनियार्स इंडिया लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं
7	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं
8	इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं

* इसकी धारण कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई सीएसआर नीति का पालन करती है

[22] कमरजर पोर्ट लिमिटेड, ईंडियन रिन्युऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा बॉमेर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड

4.4.1.4 सीएसआर नीति में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार किए जाने वाले कार्य

यह पाया गया कि 73 सीपीएसईज में से चार सीपीएसईज अर्थात इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, प्रोजेक्टस डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड, तथा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार किए जाने वाले कार्यो को नहीं दर्शाया।

4.4.2 वित्तीय घटक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) में वर्णित है कि प्रत्येक कम्पनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में पिछले निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाएं कम्पनी के औसत सकल लाभो का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करती है, बशर्ते कि यदि कम्पनी ऐसी राशि व्यय करने में विफल होती है तो बोर्ड धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (0) के तहत बनी अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट कार्यों हेतु आंबटित राशि को व्यय न करने के कारणो को उल्लिखित करेगा। 65 सीपीएसईज की नमूना जांच से पता चला कि 57[23] लाभ अर्जन करने वाले सीपीएसईज में से 53 ने पिछले निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए कम्पनी के औसत निवल लाभो का कम से कम दो प्रतिशत आबंटित किया था। चार सीपीएसईज[24] ने सीएसआर व्यय हेतु बजट के प्रति निर्धारित राशि आबंटित नहीं की थी।

4.4.2.1 निधियो का उपयोग

76 सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर कार्यो पर व्यय की गई राशि ₹ 3025 करोड़ (उपलब्ध राशि जिसमें अग्रेषित राशि सम्मिलित है) में

[23] लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई 65 में से आठ सीपीएसईज की पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सकल औसत हानि थी।

[24] इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कन्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा रेल विकास निगम लिमिटेड

से ₹ 2590 करोड़ थी। 76 सीपीएसईज की समीक्षा की गई तथा इसके परिणामों को साथ के ग्राफ में दर्शाया गया है। जिसमे यह पाया गया है कि:

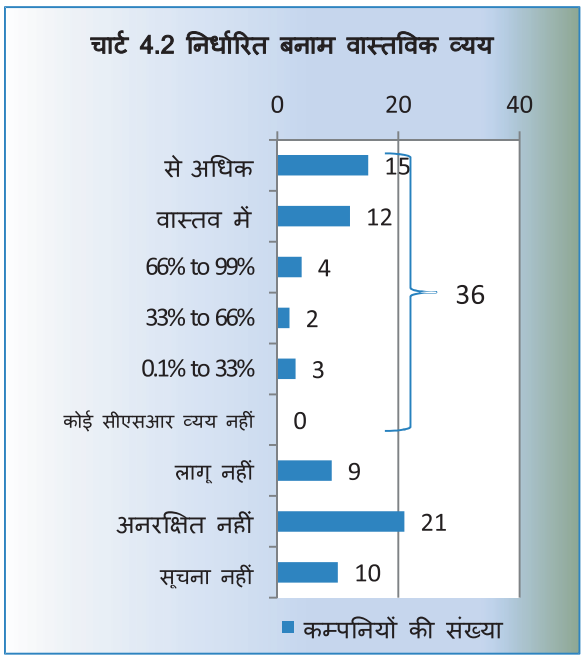

- 57 लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसईज में से इक्कीस ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) में विनिर्दिष्ट अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाएं कम्पनी के औसत सकल लाभो की कम से कम दो प्रतिशत निर्धारित राशि से वास्तविक व्यय के संदर्भ में सूचना अनुरक्षित नहीं की **(परिशिष्ट VII)**
- छत्तीस सीपीएसईज ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पृथक रूप से वास्तविक व्यय के संदर्भ में सूचना अनुरक्षित की जिसमें से 27 सीपीएसईज का व्यय कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) में निर्दिष्ट अनुसार औसत वार्षिक लाभ राशि के दो प्रतिशत था। जबकि नौ सीपीएसईज का सीएसआर कार्यों पर व्यय निधियों के दो प्रतिशत से कम था जैसाकि नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: निर्धारित राशि की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निर्धारित राशि	निर्धारित से अधिक वास्तविक व्यय	कमी (प्रतिशत)
1	हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	22.24	3.10	86.06
2	इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	6.45	2.57	60.16
3	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	121.79	115.78	4.93
4	इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड	2.08	1.86	10.58

5	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	145.79	4.49	96.92
6	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	25.23	7.89	68.73
7	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	6.53	5.73	12.25
8	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर कॉरपोरेशन लिमिटेड	6.84	4.27	37.57
9	नूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	13.24	11.58	12.54
	कुल	**350.19**	**157.27**	**55.09**

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, यदि कम्पनी ऐसी राशि को व्यय करने में विफल होती है तो बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (0) के तहत बनी अपनी रिपोर्ट में इन निर्दिष्ट कार्यों हेतु आबंटित राशि को व्यय न करने के कारणो का उल्लेख करेगा। एक मिनीरत्न सीपीएसई (इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड) तथा एक नवरत्न सीपीएसई (भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड) ने बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित राशि व्यय न करने के कारणो का उल्लेख नहीं किया था।
- डीपीई दिशा निर्देश, 2014 के पैरा 2.4(iv) के अनुसार एक विशिष्ट वर्ष में व्यय न की गई सीएसआर राशि कालातीत नहीं होगी । इसे उस प्रयोजन हेतु उपयोग के लिए अगले वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा जिसके लिए उसे आबंटित किया गया था। यह पाया गया कि तीन सीपीएसईज (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तथा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने व्यय न की गई राशि को उस प्रयोजन के लिए अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित नहीं किया था, जिसके लिए उसे आबंटित किया था।
- 15 सीपीएसईज के बोर्ड ने बोर्ड की रिपोर्ट में 2015-16 के दौरान निर्धारित राशि को व्यय न करने के निम्नलिखित कारण वर्णित किए है जैसाकि तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका : 4.3 सीएसआर कार्यों के लिए आबंटित निधियों के कम उपयोग हेतु निर्दिष्ट कारण

क्रम सं.	सीपीएसईज	2015-16 की बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट कारण
1.	हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वर्ष के दौरान ₹11.86 करोड राशि दी गई है जिसके प्रति कार्यान्वयन एजेंसियो को केवल ₹3.10 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया है तथा शेष राशि को प्रत्यक्ष/वित्तीय प्रगति पर संवितरित किया जाएगा।

2.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अधिकतर परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रो में संरचनात्मक विकास की थी जिसमें दीर्घ कार्यान्वयन अवधि सम्मिलित है तथा कार्यान्वयन एजेंसियो ने कार्य करने में अधिक समय लिया।
3.	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16 के दौरान व्यय न की गई राशि परियोजनाओं के समापन हेतु की गई प्रगति के आधार पर उपयोग की जाएगी।
4.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	परियोजनाऐं क्रियान्वयन के स्तर पर थी, माइलस्टोन पूर्ण होने पर भुगतान किया गया था इस प्रकार अव्ययित राशि थी।
5.	नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	कुछ परियोजनाऐं शुरू की गई थीं और अनुवर्ती अनुमोदन 2015-16 के 3सरी और 4थी तिमाही में प्राप्त किये गये थे। इस प्रकार, आबंटित बजट खर्च नहीं किया जा सका और अगले वित्तीय वर्ष के लिये रखा गया था।
6.	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निर्धारित सीएसआर कार्य क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर थे। वास्तविक धनापूर्ति 2016-17 के दौरान अपेक्षित है। कुछ कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा था।
7.	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कुछ शुरू की गई मुख्य परियोजनाओं की लम्बी निर्माण पूर्व अवधि थी जिसका 3-5 वर्ष परिव्याप्त बजट था इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये निश्चित किये गये बजट का कम उपयोग हुआ।
8.	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	₹ 41.54 लाख (लगभग) कवर करने वाले निर्धारित कार्य परियोजना को प्रस्ताव में परिवर्तन, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, निविदाओं की खराब अनुक्रिया के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था। शेष ₹ 28.30 लाख के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई थी और इसका अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ध्यान रखा जायेगा।
9.	भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सभी मुख्य परियोजनाओं का परियोजना चक्र एक से पांच वर्ष के बीच है। कई परियोजनाऐं एक से दो वर्षों के बीच क्रियान्वयन के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष की 2सरी, 3सरी और 4थी तिमाही में बोर्ड द्वारा अनुमोदित थी। उनके प्रति वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष से अधिक हुआ। इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध परियोजनाओं का भुगतान बाद के महीनों में जारी किया गया। सीएसआर निधि जो आबंटित होने के बावजूद भी वर्ष 2015-16 में खर्च नहीं की गई थी, को अगले वर्ष के लिये रखा गया था।
10.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर व्यय ₹ 76.2 करोड़ था जो तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत सकल लाभ के 2 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम व्यय अर्थात ₹ 57.2 करोड़ से अधिक है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसआर व्यय अधिनियम द्वारा निर्धारित राशि से कम था।

11.	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाईजेशन	व्यय न करने के कारण परिचालन-संबंधी हैं, यद्यपि प्रबंधन ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2016-17 में खर्च की जाने वाली राशि सहित अगले वित्तीय वर्ष में सीएसआर कार्य पर व्यय हेतु राशि स्पष्ट रूप से निर्धारित की।

1 हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट अभी पूर्ण नहीं की गई थी और इसलिये कारण निर्धारित नहीं किये जा सके थे।

2. एनएमडीसी लिमिटेड ने निर्धारित राशि खर्च न करने हेतु कारण नहीं बताये, व्यय की जाने वाली राशि का आबंटन अधिनियम द्वारा निर्धारित से कम है।

4.4.2.2 अन्य प्वाइंट

- नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में, स्कूल, कॉलेज, बस सेवा, अन्य असोसीएशन आदि के प्रति व्यय, जो प्रत्यक्ष रूप से कम्पनी द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित हैं को भी सीएसआर व्यय के रूप में दर्शाया गया था।
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के मामले में, यह देखा गया कि 2014-15 के दौरान, सीपीएसई ने पुराना मापदंड अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना करने की अपेक्षा सीएसआर व्यय निकालने के लिये कर के बाद लाभ लिया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ की सीएसआर निधि कम नियोजित हुई।
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड के मामले में, सीएसआर हेतु समेकित वार्षिक बजट बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं था। 2015-16 में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाऐं केवल अलग-अलग परियोजना के आधार पर बोर्ड द्वारा नियोजित, अनुशंसित और अनुमोदित थी।

4.4.3 क्रियान्वयन और निगरानी

4.4.3.1 क्रियान्वयन का माध्यम

सीएसआर नियमावली के पैरा 4(2) के अनुसार, कम्पनी बोर्ड अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कम्पनी द्वारा स्थापित कम्पनी या पंजीकृत ट्रस्ट के माध्यम से या तो अकेले या अपने नियंत्रित या सहायक या सहयोगी कम्पनी के साथ या उन अन्य कम्पनी के नियंत्रित या सहायक या सहयोगी कम्पनी के साथ, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित गतिविधियां शुरू करने का निर्णय ले सकते है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन सीपीएसई ने स्वयं के स्रोतों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सीएसआर परियोजनाऐं/कार्य क्रियान्वित किये, 11 सीपीएसई ने क्रियान्यन एजेंसी के माध्यम से सीएसआर परियोजनाऐं/कार्य क्रियान्वित किये और 57 सीपीएसई ने स्वयं के स्रोत के साथ-साथ क्रियान्वयन एजेंसियों दोनों के माध्यम से परियोजनाऐं क्रियान्वित की।

4.4.3.2 सीपीएसई द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों के ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्र

सीएसआर नियमावली के पैरा 4(1) और पैरा 6(1) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियां कम्पनी की सीएसआर नीति में निर्धारित अनुसार की जानी चाहिये अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंदर आने वाली परियोजनाऐं एवं कार्यक्रम।

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्धारित विभिन्न गतिविधियां/क्षेत्र पर 76 सीपीएसई के व्यय का विश्लेषण चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.3 सीपीएसई द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की स्थिति

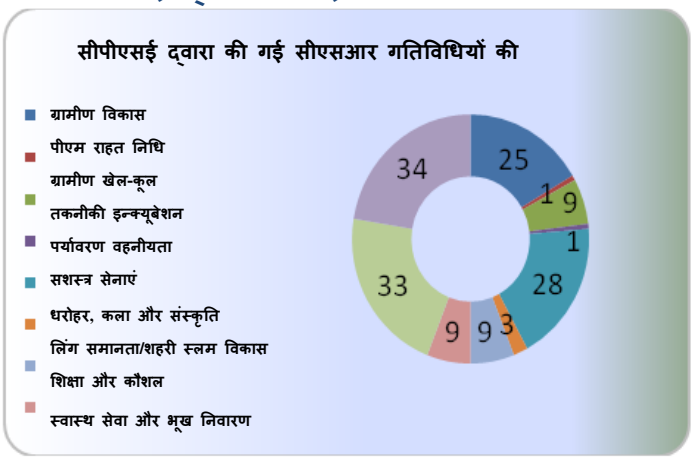

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि अधिकतर सीपीएसई ने शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य सेवा, भूख से निवारण, पर्यावरण वहनीयता और ग्रामीण विकास को सीएसआर हेतु अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में शामिल किया था। तकनीकी इन्क्यूबेशन, सशस्त्र सेनाओं और पीएम राहत निधि पर कम ध्यान केन्द्रित था।

4.4.3.3 निष्पादन के नियोजन स्तर

सीएसआर नियमावली के पैरा 6(2) के अनुसार, कम्पनी की सीएसआर नीति को उल्लिखित करना चाहिये कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले अधिशेष को कम्पनी के कारोबार लाभ का भाग नहीं बनाना चाहिये। तथापि, 26 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में उपरोक्त जानकारी उल्लिखित नहीं की थी।

डीपीई दिशानिर्देशों 2014 के पैरा2.4 (xiv) के अनुसार, सीपीएसई को आबंटित बजट के अंतर्गत अपेक्षित संसाधनों की मात्रा के पूर्वानुमान सहित विभिन्न माइलस्टोन पर लक्ष्य निर्धारित करके पहले से निष्पादन के स्तर की योजना बनानी चाहिये और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये निर्धारित समय सीमा होनी चाहिये। तथापि, 61 सीपीएसई ने सीएसआर योजना/रणनीति बनाई और उसका अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया गया था, लेकिन सभी सीपीएसई योजना में किये गये सीएसआर कार्य को उल्लिखित नहीं करते। 15 सीपीएसई के मामले में, सीएसआर योजना या निष्पादन के स्तर विभिन्न माइलस्टोन पर लक्ष्य निर्धारित करके पहले से निश्चित नहीं किये गये थे। 11[25] सीपीएसई के मामले में, आबंटित बजट के अंतर्गत अपेक्षित संसाधनों की मात्रा का पूर्वानुमान नहीं किया गया था। 12[26] सीपीएसई के मामले में, योजना सीएसआर गतिविधियों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव वांछित/परिमेय अपेक्षित परिणाम निर्धारित नहीं करती जबकि 55 सीपीएसई के मामले में योजना ने अपेक्षित परिणाम और प्रभाव निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के मामले में, सीएसआर व्यय के अनुमोदन में विलम्ब, निम्नलिखित कारणों से था:

---

[25] भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन रीन्यूऐबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड।

[26] नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, इंडियन रीन्यूऐबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रकशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड।

- चूँकि वर्ष 2014-15 के लिये ओएनजीसी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को जुलाई 2015 में अंतिम रूप दिया गया था, सीएसआर निधि उसी माह में अनुमोदित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप तीन माह से अधिक का विलम्ब हुआ और परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

- सेल के मामले में अनुमोदित सीएसआर बजट वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान चार से पांच माह की समाप्ति के बाद संयंत्र/इकाई को बताया गया था। जिसके परिणामस्वरूप सीएसआर पर व्यय लंबित हुआ।

4.4.3.4 परिचालन संबंधी क्षेत्र

डीपीई दिशानिर्देश 2014 के पैरा 2.4 (xiii) के अनुसार, स्थानीय क्षेत्र को उचित वरीयता देने के बाद सीपीएसई देश में कही भी सीएसआर गतिविधियां कर सकता है। निदेशक मंडल को स्थानीय क्षेत्र और उसके बाहर के बीच सीएसआर व्यय के सांकेतिक अनुपात के बारे में निर्णय लेना चाहिये, इसे सीपीएसई की सीएसआर नीति में उल्लिखित किया जा सकता है।

यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में, 66 सीपीएसई ने सीएसआर राशि खर्च करने हेतु अपने संचालन के आस-पास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी जबकि निम्नलिखित पांच सीपीएसई जो तालिका 4.4 में सूचीबद्ध हैं ने संचालन के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी:

तालिका 4.4: सीपीएसई जिन्होने संचालन के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2	एमएसटीसी लिमिटेड
3	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	ऑयल इंडिया लिमिटेड
5	सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन

सीपीएसई ने दोनों क्षेत्रों के बीच सांकेतिक अनुपात भी निर्धारित नहीं किया और उसे सीएसआर नीति में उल्लिखित नहीं किया था। महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित प्रकार हैं:

- भारत डायनामिक्स लिमिटेड के मामले में, स्थानीय और गैर-स्थानीय क्षेत्रों पर खर्च किये जाने वाले सीएसआर व्यय का सांकेतिक अनुपात डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित अनुसार निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था। सीएसआर हेतु क्षेत्र-वार और कार्य-वार किये गये व्यय का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्रबंधन ने कहा कि सीएसआर नीति योजना अद्यतित करते समय स्थानीय क्षेत्र का कार्य परिभाषित किया जायेगा।

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के मामले में, यद्यपि सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र के लिये सांकेतिक अनुपात निर्धारित किया था, जिसका वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये बाहरी क्षेत्र पर अधिक था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रों को अलग अनुपात में निधि के आबंटन की स्वैपिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमोदन नहीं मांगा गया था।

4.4.3.5 क्षमता वर्धन पर व्यय

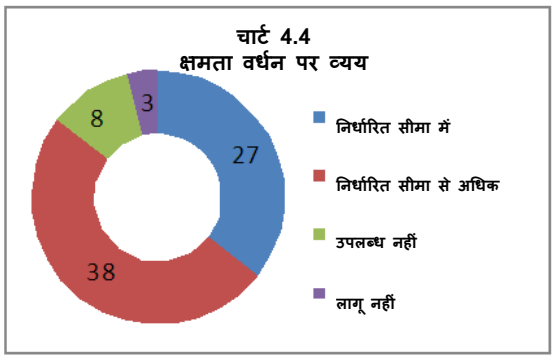

कम्पनी (सीएसआर) नियमावली 4(6) के अनुसार, कम्पनी अपने स्वयं के कार्मिक के साथ-साथ कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ संस्था के माध्यम से उनकी क्रियान्वयन एजेंसियों की सीएसआर क्षमता बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा व्यय प्रशासनिक उपरिव्यय के साथ एक वित्तीय वर्ष में कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

यह देखा गया कि 38 सीपीएसई के क्षमता वर्धन पर व्यय कुल सीएसआर व्यय की पांच प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया था।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मामले में, सीएसआर कार्मिकों को क्षमता वर्धन हेतु अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया था लेकिन प्रशिक्षण पर व्यय सीएसआर के अंतर्गत स्पष्ट नहीं किया गया था।

4.4.4 सीएसआर गतिविधियों की निगरानी

4.4.4.1 सीएसआर नीति की निगरानी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3-सी) निर्धारित करती है कि सीएसआर समिति को समय-समय पर कम्पनी की सीएसआर नीति की निगरानी करनी चाहिये। लेखापरीक्षा में देखा गया था कि 76 में से निम्नलिखित पांच सीपीएसई की सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति की आवधिक रूप से निगरानी नहीं की थी जैसा तालिका 4.5 में सूचीबद्ध है:

तालिका4.5: सीएसआर नीति की मॉनिटरिंग नहीं करने वाली सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
5	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

4.4.4.2 पारदर्शी मॉनिटरिंग तंत्र का गठन

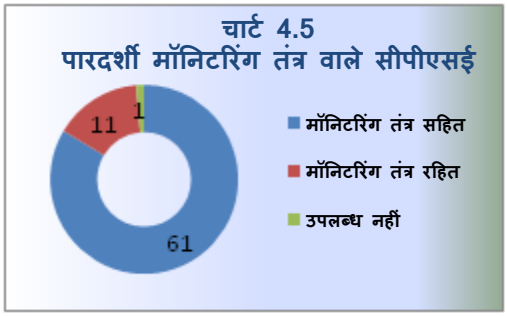

सीएसआर नियमावली 2014 का पैरा 5(2) निर्धारित करता है कि सीएसआर समिति को कम्पनी द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु पारदर्शी मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित करना चाहिये। यह देखा गया कि 73 सीपीएसई में से 11[27] सीपीएसई में कोई मॉनिटरिंग तंत्र नहीं था। अन्य 17[28] सीपीएसई के मामले में

[27] नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

[28] नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्राक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाइजेशन, एमएसटीसी लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड।

मॉनिटरिंग मुख्य निष्पादन सांकेतकों की सहायता से आवधिक रूप से नहीं की गई।

हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के मामले में, सीपीएसई ने चयनित स्कूल/ कॉलेज में सोलर पैनल की स्थापना हेतु टीईआरआई के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। बैंगलुरू इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को वापस दी गई अतिरिक्त बिजली के माध्यम से प्राप्त वित्तीय लाभ का कल्याण कार्य हेतु लाभार्थियों द्वारा उपयोग नियत किया गया था। तथापि, एचएएल/टीईआरआई द्वारा उसकी मॉनिटरिंग हेतु कोई भी निर्धारित प्रक्रिया/दिशानिर्देश नहीं थे।

4.4.4.3 संचार योजना

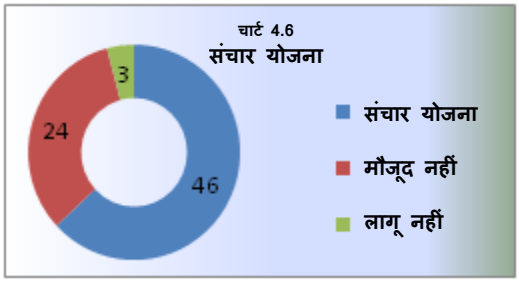

डीपीई दिशानिर्देश 2014 के पैरा 2.4 (xv) के अनुसार, सीपीएसई को कम्पनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों और निरंतर कार्यवाही के संबंध में उनके विचारों और सुझावों को सुनिश्चित करने के लिये मुख्य पणधारकों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श के लिये संचार योजना बनानी चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 73 सीपीएसई में से, 24 सीपीएसई के मामले में, मुख्य पणधारकों जैसे सरकारी प्राधिकारी, जिला स्तर प्राधिकरण और अन्य लाभार्थियों के साथ बातचीत हेतु कोई औपचारिक संचार योजना नहीं थी।

4.4.4.4 उपयोगिता प्रमाणपत्र

लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये गये 73 सीपीएसई में से, 15 सीपीएसई के मामले में, यह देखा गया है कि सीपीएसई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र के लिये योग्यता की समीक्षा की गई थी।

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के मामले में, प्रचलन में प्रयोग के अनुसार, व्यय उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) की प्राप्ति के बाद ही परियोजना हेतु व्यय किया गया माना जाता है और उस समय तक उसे अग्रिम के रूप में रखा जाता है। वर्ष 2015-16 के

लिये निष्पादन के अंतर्गत 22 परियोजनाओं में से 5 की नमूना जांच में, यह देखा गया कि एक परियोजना अर्थात 'नेवल वेल्फेयर फंड ट्रस्ट' (एनडब्ल्यूएफटी) के संबंध में कम्पनी ने नवम्बर 2015 में ₹ 15 लाख का योगदान दिया। उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र 31/03/2016 तक प्राप्त नहीं हुआ था अर्थात निधि प्राप्त होने के आठ माह बाद। सीपीएसई निर्धारित उद्देश्य हेतु पैसे का व्यय करने के बावजूद वर्ष 2015-16 में ₹ 15 लाख का सीएसआर व्यय बुक नहीं कर सकी।

- यह देखा गया कि सीएसआर गतिविधियों के संबंध में ₹ 3.28 करोड़ के लिये उपयोगिता प्रमाणपत्र गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

4.4.5 रिपोर्टिंग और स्थिरता

4.4.5.1 सीएसआर समिति की संरचना का प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार सीपीएसई अर्थात कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अलावा सभी 69 सीपीएसई ने बोर्ड की रिपोर्ट में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की।

4.4.5.2 बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिर्पोट का समावेशन

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 8(1) के अनुसार, नियम के अंतर्गत कवर्ड कम्पनी की बोर्ड रिपोर्ट में निर्धारित प्रारूप में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल करनी चाहिये। तथापि, यह देखा गया कि 73 सीपीएसई में से, 2 सीपीएसई को वर्ष 2015-16 में हानि हुई और दो सीपीएसई अर्थात बॉल्मर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं की।

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के मामले में, यह देखा गया कि यद्यपि वर्ष 2014-15 के लिये सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में की गई सीएसआर गतिविधियां के बारे में बताया गया था, उसमें खर्च नहीं की गई राशि का विवरण देने वाली जानकारी और निर्धारित प्रारूप के अनुसार उसके कारण प्रस्तुत नहीं थे।

- यद्यपि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के मामले में, वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर बोर्ड रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नहीं बनाई गई थी। प्रबंधन ने 2015-16 के लिये वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण की आवश्यकता का पालन करना सुनिश्चित किया। इसके अलावा, कम्पनी की वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर गतिविधियों और मौजूदा नीति के केवल संक्षिप्त संस्करण को प्रदर्शित किया गया है।

4.4.5.3 सीएसआर की विषयवस्तु प्रदर्शित करना

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 9 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक मण्डल को अपनी रिपोर्ट में सीएसआर नीति की विषयवस्तु प्रस्तुत करनी चाहिये और उसे कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये। 73 सीपीएसईज़ में से तीन सीपीएसईज़ यथा बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड, भारत कुकींग कोल लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर सीएसआर नीति की विषयवस्तु प्रदर्शित नहीं की है।

चार्ट 4.10
सीएसआर की विषयवस्तु का उल्लेख

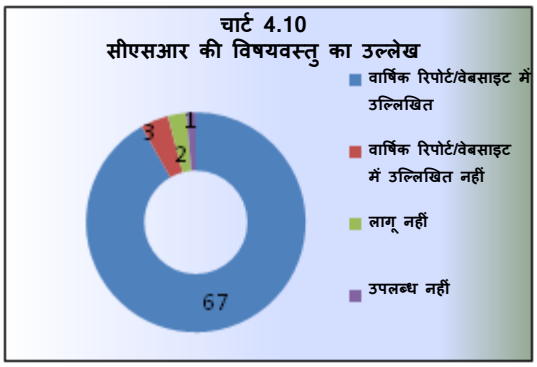

4.4.6 प्रभाव आकलन

किसी भी सीएसआर और निरंतर गतिविधि/परियोजना की सफलता की अंतिम जांच उसका सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव है। प्रत्येक ऐसी गतिविधि योजनाबद्ध है और समाज या पर्यावरण पर कुछ अनुमानित प्रभाव के साथ क्रियान्वित है। डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के पैरा 2.4 (xvii) के अनुसार, सीपीएसई को उनके द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं की बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रभाव आकलन का अध्ययन करवाना चाहिये।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 73 सीपीएसई में से 19 सीपीएसई के मामले में पूर्ण परियोजनाओं/गतिविधियों के लिये प्रभाव का आकलन नहीं किया गया था।

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 'स्वच्छ भारत' कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें यह वांछित था कि कार्पोरेट क्षेत्र के साथ मिलकर महत्वपूर्ण स्मारकों पर मौजूदा सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। ओएनजीसी ने संपूर्ण रूप से विकास हेतु छह धरोहर स्थलों (ताजमहल, आगरा सहित) को अपनाने की इच्छा जताई। परियोजना 2017-18 तक चार वर्षों में पूर्ण की जानी थी। परियोजना के लिये आबंटित कुल बजट ₹ 20.75 करोड़ था। आबंटित बजट में से ₹ 0.50 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को दी गई। वर्ष 2015-16 के लिये आबंटित निधि ₹ 6.75 करोड़ थी। तथापि, वर्ष 2015-16 में एएसआई को कोई भुगतान नहीं किया गया। अपने उत्तर में ओएनजीसी ने कहा (अक्टूबर 2015) कि पैट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय ने ओएनजीसी को आगे के निर्देश जारी करने तक परियोजना के अतिरिक्त भुगतान को रोकने के लिये कहा (दिसम्बर 2015)। जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

- मैंगलोर रिफाईनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), ने अपनी सीएसआर गतिविधि के भाग के रूप में लेडी गोसचेन हास्पिटल मैंगलोर में विंग के निर्माण के प्रति 2012 में ₹ 21.70 करोड़ अनुमोदित किये। चूँकि, वर्ष 2012-13 के लिये एमआरपीएल का कर के बाद लाभ नकारात्मक था, ओएनजीसी से उसके सीएसआर हस्तक्षेप के अंतर्गत परियोजना हेतु अंतर वित्तपोषण प्रदान करने का अनुरोध किया गया (जुलाई 2013) तदनुसार ₹ 12.78 करोड़ की वित्तीय सहायता ओएनजीसी द्वारा स्वीकृत की गई थी। यद्यपि परियोजना ₹ 8.89 करोड़ के प्रारंभिक निवेश सहित मार्च 2013 में शुरू की गई थी जुलाई 2015 तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। परियोजना 25 माह के विलम्ब के बाद फिर से शुरू की गई थी। अभी तक (अगस्त 2016) परियोजना केवल 64 प्रतिशत पूर्ण की गई है।
- विभिन्न सीपीएसई द्वारा सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत कुछ उल्लेखनीय कार्य तालिका 4.6 में दिये गये हैं:

तालिका 4.6: सीपीएसई द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य

सीपीएसई	प्रकार	प्रभाव
भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड	इंजीनियरिंग	1. बच्चो सहित 480 हीमोफीलिक रोगियों को सहायता प्रदान की। 2. बीएचईएल की तीन इकाइयों के निकट मोबाइल साइंस लैब के माध्यम से 250 स्कूलों के करीब 35,000 छात्रों को लाभ प्रदान किया। 3. ललितपुर (उ.प्र.) में तैनात 'लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन' के माध्यम से करीब 7700 रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान की।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	कोल	सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियों ने 53,412 शौचालयों का निर्माण किया। 31 मार्च, 2016 तक इन शौचालयों के निर्माण पर कुल ₹ 820.44 करोड़ का व्यय किया गया।
गेल (इंडिया) लिमिटेड	गैस	1. ''आरोग्य'' के अंतर्गत करीब 5,00,000 लोगों और 391 गांवों को कवर करने वाले सात राज्यों में मोबाइल चिकित्सा इकाईयों का संचालन किया। 2. मार्जिनलाइज्ड समुदाय से गुणी बच्चो के उद्देश्य से ''उत्कर्ष'' प्रमुख कार्यक्रम; जो किया गये पूर्णव्यय, विशेष आवासीय कोचिंग/गहन सलाह प्रदान करती है ताकि वो आईआईटी-जेईई, एआईईईई और यूपीटीयू जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिये प्रत्यन कर सके। 2015-16 के लिये, इस कार्यक्रम के लिये कुशल चयन प्रक्रिया के माध्यम से 100 छात्र पहचाने गये थे। इनमें से 94 ने आईआईटी मुख्य परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त की जिसमें से 55 ने विभिन्न आईआईटी और देश के अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया। 3. कम्पनी ''कौशल'' कार्यक्रम के अंतर्गत दूरस्थ/पिछडे जिलों में 3200 से अधिक ग्रामीण और सेमी-अर्बन युवाओं को ऑटो कैड, वेब डिजाइनिंग, घरेलू बीपीवी/बीपीओ वेल्डिंग, इंडस्ट्रीयल इलैक्ट्रिशियन, सीएनसी ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट आदि में नौकरी से जुड़ी कुशल प्रशिक्षण देने के लिये गूना (म.प्र.), डेडियापाडा (नर्मदा, गुजरात) तंदूर (रंगारेड्डी, तेलंगाना 31 अगस्त 2016 तक) और नगराम (आंध्र प्रदेश) में चार गेल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का संचालन कर रहा है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ऑयल	1. इंडियन ऑयल द्वारा 22.00 लाख नये कनेक्शन लगाये गये और कुल मिलाकर 32.40 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ। 2. स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत, इंडियन ऑयल ने 16 राज्यों में सरकारी स्कूलों में 2855 शौचालयों के निर्माण/

		मरम्मत का कार्य किया। 3. स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल, मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इस परियोजना से 52,660 रोगियों का इलाज किया गया और अभी तक करीब 8 लाख रोगियों का लाभ मिला। 4. सर्वेसंतु निरामया (एसएसएन) परियोजना डिगबोई, असम के अंतर्गत 2,500 रोगी और 12,200 पशुओं का इलाज किया गया अभी तक, 54,00 रोगी और 57,000 पशुओं का इलाज किया गया है। 5. 2015-16 के दौरान, इंडियन ऑयल मल्टी-स्किल डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, डिग्बोई, असम से विभिन्न उद्योग में 271 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और अभी तक 388 लाभार्थियों को प्रशिक्षण और प्रमाणित किया गया है। 6. 2015-16 के दौरान, शिक्षक दक्षता विकास अभियान, डिग्बोई, असम के अंतर्गत 81 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और अभी तक, डिग्बोई में और उसके आसपास में 42 गांवों को कवर करते हुये स्कूलों से 355 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
एनटीपीसी लिमिटेड	पावर	"स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान" के अंतर्गत स्कूलों में करीब 29,000 शौचालय उपलब्ध कराये गये थे।
ऑयल एडं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ऑयल	1. स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत 8,202 शौचालय बनाये गये थे। 2. वरिष्ठ स्वास्थय सेवा अभियान के अंतर्गत 59,750 लाभार्थियों की कुल 15,26,538 पुरानी बीमारी का इलाज किया गया।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	ऑयरन एंड स्टील	1. स्वच्छ विद्यालय अभिहयान के अंतर्गत 6 राज्यों में 672 शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया। 2. वर्ष 2015-16 के दौरान 3,800 स्वास्थ कैम्पों से अधिक का आयोजन किया गया जिससे लगभग 97,000 गांव के लोगों को लाभ मिला। 3. प्रत्येक वर्ष करीब 1,00,000 गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों को संयंत्रों में 24 विशेष स्वास्थ्य केन्द्र मुफ्त चिकित्सा सेवा और दवाईयां प्रदान कर रहे हैं। 2015-16 के दौरान, 1.32 लाख से अधिक गांव के लोगों ने इन स्वास्थय केन्द्रों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ लिया। 4. स्टील टाउनशिपों में 145 स्कूलों के 55,000 बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी गई और भिलाई और राउरकेला में 636 सरकारी स्कूलों में 75,000 विद्यार्थियों को अक्षय पत्र फाउंडेशन के सहयोग से दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया।

		5. 21 विशेष स्कूल (कल्याण एंड मुकुल विद्यालय) मुफ्त सुविधाओं सहित एकीकृत स्टील प्लांट स्थलों पर 3600 बीपीएल श्रेणी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। 335 आदिवासी बच्चों को ज्ञानज्योति योजना, बोकारों के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन एवं कपड़े, कापी-किताब इत्यादि मिल रहा है। 6. वर्ष 2015-16 के दौरान पिछड़े गाँवों के 947 युवाओं और 1785 महिलाओं को सतत आय अर्जन के प्रति लक्षित व्यावसायिक और विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।

4.5 निष्कर्ष

सीएसआर भारत में प्रत्येक सीपीएसई का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। सीपीएसईज़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से देश के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की। सीएसआर के अनिवार्य प्रावधान वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन के साथ ही यह देखा गया कि यद्यपि सीपीएसईज़ ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था किन्तु फिर भी योजना में देरी, अग्रिम में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाना एवं व्यय में देरी जैसी कई घटनायें थी।

निर्धारित राशि में पांच प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक की कमी भी देखी गई थी। 57 लाभकारी सीपीएसईज़ बोर्ड में से 27 सीपीएसईज़ (47 प्रतिशत) ने यह सुनिश्चित किया कि सीएसआर हेतु अधिनियम द्वारा निर्धारित निधियों को पूरा खर्च किया गया है। हालांकि, 30 सीपीएसईज़ के बोर्ड (53 प्रतिशत) ने ऐसा नहीं किया। कई सीपीएसईज़ ऐसी भी थी जहां निर्धारित राशि से वास्तविक व्यय के लिए अलग वार्षिक लेखे नहीं बनाए जा रहे है। इसके अलावा, सीपीएसईज़ के वार्षिक रिपोर्ट में निर्धारित राशि से कम खर्च का कारण नहीं बताया जाता है। यह देखा गया कि प्रभाव निर्धारण अर्थात् पूर्ण हो चुकी परियोजना हेतु सीएसआर गतिविधि की अंतिम जांच कई मामलों में नहीं की गई थी।

4.6 सिफारिशें

भारत सरकार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से निगमित सामाजिक दायित्व के प्रावधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दबाव बनाए।